आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
10-07-2023	**वाद सं0–19 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पंचायत–भेंडरा, प्रखण्ड–नावाडी, जिला–बोकारा Telephonic Conference माध्यम से उपस्थित । द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो ने आयोग को बताया कि आयोग के निर्देश के आलोक में वे 21.06.2023 को नावाडीह अंचल गयीं थीं। जहाँ शिकायतकर्ता भी आये थे और आयोग के निर्देश के आलोक में शिकायतकर्ता से हुई वार्ता की वीडियो भी बनाई गई थी। लेकिन आयोग के आदेश के आलोक में वो वीडियो आयोग को नहीं भेजा गया है। आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता ने अपनी पुरानी आशंकाओं को पुनः जताया और बताया की जब डीलर के पास स्टॉक नहीं था और उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया गया था, तो वितरीत कैसे किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि डीलर ने अपने बचे स्टॉक से राशन का वितरण किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी पूरे मामले में आयोग और शिकायतकर्ता दोनों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायकर्ता की असंतुष्टि पर आयोग ने शिकायतकर्ता से यह आग्रह किया कि वो आयोग आ जाए ताकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा सके। शिकायतकर्ता ने आयोग में व्यक्तिगत उपस्थिति से इन्कार किया। अतः आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे पूरे प्रकरण पर साक्ष्य सहित अपना प्रमाण आयोग को भेजें ताकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी का पक्ष शिकायतकर्ता को भेज कर शिकायतकर्ता का पक्ष जाना जा सके। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–11.08.2023 को निर्धारित की जाती है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकरो को सशरीर आयोग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.08.2023 को रखें। Sp 13.7.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
11.08.2023	अपरिहार्य कारणों से आज की सुनवाई स्थगित की जाती है। सुनवाई की तिथि दि0. 12.09.2023 को रखें। Sp	
D:\Premlata\Court.docx37		